फा.सं. ईएस-02/5/2025-ईएस
भारत सरकार
खान मंत्रालय
(ईएस विंग)
*****

कमरा सं. 315, डी-विंग, शास्त्री भवन
नई दिल्ली, 16 जून, 2025

सेवा में,

1. राज्यों के वित्त विभाग के प्रभारी सचिव (सूची के अनुसार)
2. राज्यों के खान विभाग के प्रभारी सचिव (सूची के अनुसार)

विषय: पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2025-26 के भाग-V (खनन क्षेत्र सुधार) के लिए प्रचालन दिशानिर्देशों के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय का संदर्भ लें। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने दिनांक 22.05.2025 के पत्र संख्या 44(1)/पीएफ-एस/2025-26(कैपेक्स) के माध्यम से जारी 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2025-26' (एसएएससीआई 2025-26) के सुधार-आधारित भागों के लिए योजना दिशानिर्देशों के भाग-V (खनन क्षेत्र सुधार) के अनुच्छेद 5 के अनुसरण में, एसएएससीआई 2025-26 के भाग-V (खनन क्षेत्र सुधार) के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन(ओं) को प्रस्तुत करने के लिए प्रचालन दिशानिर्देश संलग्न हैं।

2. सभी राज्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इन दिशानिर्देशों का संदर्भ लें।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्न: यथोपरि

(सुखदीप सिंह)
निदेशक (ईएस)
ई-मेल: sukhdeep.singh1@gov.in
दूरभाष: 91-11-23073046

प्रतिलिपि:

अपर सचिव, लोक वित्त-राज्य प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय।

फा. सं. ईएस-02/5/2025-ईएस
भारत सरकार
खान मंत्रालय
(ईएस विंग)

'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2025-26' (एसएएससीआई 2025-26) के भाग- V(खनन क्षेत्र सुधार) के लिए प्रचालन दिशानिर्देश

1. **एसएएससीआई 2025-26 के भाग- V(खनन क्षेत्र सुधार) का उद्देश्य:** इसका उद्देश्य खनिज उत्पादन में वृद्धि, खनन से राज्यों द्वारा संग्रहित राजस्व में वृद्धि और सुधारों को प्रोत्साहित करना है।

2. **परिव्यय :** खनन क्षेत्र में सुधार के निम्नलिखित घटकों को लागू करने के लिए राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु योजना के इस भाग के लिए **5,000 करोड़ रुपये** की राशि निर्धारित की गई है:

(i) घटक I: गौण खनिज सुधार
(ii) घटक II: प्रमुख खनिज सुधार
(iii) घटक III: राज्य खनन तत्परता सूचकांक (एसएमआरआई) आधारित सुधार

3. **खनन क्षेत्र सुधारों के तीन घटकों में बजट का आवंटन:** निधियों को खनन क्षेत्र सुधारों के तीन घटकों में निम्नानुसार विभाजित किया गया है:

घटक I: गौण खनिज सुधार - 2,000 करोड़ रुपये
घटक II: प्रमुख खनिज सुधार - 2,100 करोड़ रुपये
घटक III: राज्य खनन तत्परता सूचकांक आधारित सुधार - 900 करोड़ रुपये

4. **वित्तीय प्रोत्साहन के लिए राज्यों की पात्रता:**

4.1 घटक I और II के लिए विनिर्दिष्ट सुधार कार्यों को पूरा करना। घटक III के लिए, एसएमआरआई के अनुसार तीन श्रेणियों अर्थात् क, ख और ग में से प्रत्येक में शीर्ष तीन रैंकिंग वाले राज्य पात्र हैं।

4.2 निर्धारित प्रारूप में पूर्ण आवेदन निर्धारित समय-सीमा से पूर्व प्रस्तुत करना।

4.3 राज्य द्वारा प्रमुख खनिजों के संबंध में खनन क्षेत्र पर राज्य स्तरीय कर न लगाया जाना पात्रता की शर्त है। इस वित्तीय प्रोत्साहन योजना के प्रयोजन के लिए, राज्य कर का तात्पर्य होगा राज्य द्वारा खनन क्षेत्र पर किसी भी रूप में लगाया गया कर, जिसे किसी भी नाम से जाना जाता है, जिसमें खनिज युक्त भूमि या खनिज अधिकार कर, पर्यावरण/अवसंरचना उपकर आदि शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है। राज्य सरकार को अनुलग्नक-1 में दिए गए प्रारूप में इस आशय की घोषणा करनी होगी कि खनन क्षेत्र पर कोई राज्य स्तरीय कर नहीं लगाया गया है।

4.4 घटक I (गौण खनिज सुधार) के लिए :

4.4.1 **मानदंड:** राज्य को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित सुधार कार्यों में से कम-से-कम चार को पूरा करना होगा:

#	सुधार पैरामीटर	सुधार का संक्षिप्त विवरण
1	राज्य में गौण खनिज नीति है	राज्य द्वारा गौण खनिजों के संरक्षण, विकास और विनियमन के लिए प्रतिपादित नीति, गवेषण, खनिज विकास, खनन निवेश को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी का उपयोग आदि सहित विभिन्न पहलू शामिल हैं।
2	राज्य ने गौण खनिजों के गवेषण कार्यकलापों के वित्तपोषण के लिए राज्य खनिज खोज न्यास (एसएमईटी) की स्थापना की है।	राज्य द्वारा स्थापित एक न्यास, जिसमें गौण खनिजों पर रॉयल्टी/किराये पर उपकर के माध्यम से धन अर्जित होता है, तथा जिससे प्राप्त धन को राज्य में गौण खनिजों के सर्वेक्षण और गवेषण कार्यकलापों पर व्यय किया जाता है।
3.	राज्य ने गौण खनिज ब्लॉकों के आवंटन के लिए नीलामी पद्धति अपनाई है	राज्य ने कम-से-कम 3 गौण खनिजों के लिए नियम बनाए हैं और खनिज ब्लॉकों की नीलामी की है।
4.	राज्य ने गौण खनिजों के लिए स्टार रेटिंग प्रणाली लागू की है	राज्य ने गौण खनिज खानों की स्टार रेटिंग के लिए नियम बनाए हैं और रूपरेखा अपनाई है। इन नियमों का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ खान मालिकों द्वारा सतत खनन पद्धतियों को प्रोत्साहित करना तथा पर्यावरणीय, सामाजिक और शासी (ईएसजी)

		पहलुओं में उनके कार्य-निष्पादन की रेटिंग करना है। स्टार रेटिंग रूपरेखा में अन्य बातों के साथ-साथ व्यवस्थित और सतत खनन (प्रचालन दक्षता, रिजेक्ट डंप प्रबंधन, धूल दमन, आदि); पर्यावरण सुरक्षा और जल संरक्षण (वृक्षारोपण, पुनर्चक्रित जल का उपयोग, आदि); स्वास्थ्य सुरक्षा और श्रमिक कल्याण (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पेयजल और स्वच्छता, व्यावसायिक रोग जांच, आदि) जैसे पहलू शामिल हो सकते हैं। गौण खनिज खानों की स्टार रेटिंग वित्त वर्ष 2025-26 में की जाएगी।
5.	राज्य में गौण खनिजों के लिए खानबंदी के प्रावधान और निगरानी तंत्र है	राज्य ने नियम बना लिये हैं जिनमें उक्त योजना(ओं) में सुरक्षात्मक, सुधार और पुनर्वास उपायों को सुनिश्चित करने के लिए खान मालिक द्वारा प्रतिभूति या गारंटी के रूप में वित्तीय आश्वासन के साथ गौण खनिजों के लिए प्रगतिशील और अंतिम दोनों प्रकार की खानबंदी योजना का प्रावधान है। राज्य ने खानबंदी कार्यकलाप पर व्यय करने के लिए एक बजट शीर्ष भी बनाया है।
6.	राज्य ने पूरे राज्य में कम-से-कम 3 गौण खनिजों का सर्वेक्षण, मानचित्रण और गवेषण कर लिया है	राज्य द्वारा सर्वेक्षण, मानचित्रण और गवेषण के परिणामस्वरूप तकनीकी /व्यवहार्यता /सर्वेक्षण रिपोर्ट, भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किए गए हैं, जो राज्य में भूवैज्ञानिक संभावना वाले क्षेत्र का अनुमान लगाते हैं और कम-से-कम 3 गौण खनिजों के संसाधनों और भंडार का भी अनुमान लगाते हैं।
7.	राज्य ने संशोधित पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देशों के आधार पर राज्य डीएमएफ नियम जारी कर दिये हैं	खान मंत्रालय द्वारा दिनांक 15.01.2024 को जारी संशोधित पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देशों के आधार पर, राज्य ने डीएमएफ नियम जारी किए हैं, जिनमें सीएजी ऑडिट, राज्य स्तरीय निगरानी समिति, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र, शिकायत निवारण तंत्र आदि जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है।

नोट: गौण खनिज, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3 (ङ) में यथापरिभाषित होंगे।

4.4.2 **वित्तीय प्रोत्साहन:** 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर प्रति राज्य 100 करोड़ रुपये

4.4.3 **आवेदन प्रस्तुत करने का प्रारूप :** अनुलग्नक-2 के अनुसार।

4.4.4 **दस्तावेजी साक्ष्य :** अनुलग्नक-3 में प्रत्येक पैरामीटर के संबंध में सांकेतिक सूची के अनुसार।

4.5 घटक II (प्रमुख खनिज सुधार) के लिए:

4.5.1 **मानदंड:** किसी राज्य ने वित्त वर्ष 2025-26 (दिसंबर 2025 तक) के दौरान कम-से-कम 10% प्रमुख खनिज ब्लॉकों जिनकी दिनांक 31.03.2025 तक सफलतापूर्वक नीलामी की गई थी का प्रचालन (अर्थात् उत्पादन और प्रेषण की शुरुआत) किया है। वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र होने हेतु प्रचालित किए जाने वाले प्रमुख खनिज ब्लॉकों की संख्या का राज्य-वार लक्ष्य अनुलग्नक-4 में दिया गया है।

4.5.2 **वित्तीय प्रोत्साहन:** 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर प्रति राज्य 300 करोड़ रुपये

4.5.3 **आवेदन प्रस्तुत करने का प्रारूप :** अनुलग्नक-5 के अनुसार।

4.5.4 **दस्तावेजी साक्ष्य:** इस सुधार पैरामीटर की पूर्ति के लिए राज्यों से संबंधित डेटा को खान मंत्रालय के खान प्रचालन पोर्टल के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।

4.6. घटक III (एसएमआरआई-आधारित सुधार) के लिए :

4.6.1 **मानदंड:** एसएमआरआई में राज्यों की तीन श्रेणियों (समूह क, ख और ग) में से प्रत्येक में शीर्ष तीन रैंक वाले राज्य, जिन्हें खान मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा।

4.6.2 **वित्तीय प्रोत्साहन:** प्रति राज्य 100 करोड़ रुपये

4.6.3 **आवेदन प्रस्तुत करने का प्रारूप :** अनुलग्नक-6 के अनुसार।

5. आवेदन प्रस्तुत करना:

5.1 राज्य इन दिशा-निर्देशों के जारी होने के बाद लेकिन नीचे पैरा 5.3 में बताई गई समय-सीमा के बाद, पात्रता के अनुसार किसी भी समय घटकों के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन कर सकता है। इसे प्रत्येक घटक के लिए अलग से आवेदन करना होगा।

5.2 सभी तरह से पूर्ण आवेदन दस्तावेजी साक्ष्य (सॉफ्ट कॉपी में) के साथ निदेशक (ईएस), खान मंत्रालय, नई दिल्ली को ईमेल: **ecos-mines@gov.in** पर भेजे जाने चाहिए।

5.3 **आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि:** राज्य सरकार द्वारा खान मंत्रालय को सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि नीचे दर्शाई गई है, जिसके बाद किसी भी आवेदन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी:

घटक- I (गौण खनिज सुधार)	दिनांक 31.10.2025
घटक- II (प्रमुख खनिज सुधार)	दिनांक 31.10.2025
घटक- III (राज्य खनन तत्परता सूचकांक-आधारित सुधार)	दिनांक 31.10.2025

6. खान मंत्रालय द्वारा आवेदनों की समीक्षा: खान मंत्रालय इस उद्देश्य के लिए गठित की जाने वाली एक आंतरिक समिति के माध्यम से राज्यों द्वारा प्रस्तुत सभी आवेदनों की समीक्षा करेगा। यह समिति मानदंडों के अनुसार सभी आवेदनों की जांच करेगी और खान मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अपनी सिफारिशें व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को निधि जारी करने के लिए भेजेगी।

*****

<u>अनुलग्नक-1</u>

राज्य सरकार द्वारा खनन क्षेत्र (प्रमुख खनिजों के संबंध में) पर राज्य स्तरीय कर न लगाने की घोषणा का प्रारूप

सेवा में

सचिव,
खान मंत्रालय
भारत सरकार,
नई दिल्ली

महोदय,

यह प्रमाणित किया जाता है कि खान मंत्रालय के दिनांक 16.06.2025 के पत्र संख्या ईएस-02/5/2025-ईएस द्वारा जारी एसएएससीआई 2025-26 के भाग-V (खनन क्षेत्र सुधार) के लिए प्रचालन दिशानिर्देशों के पैरा 4.3 के अनुसार _____________ (राज्य का नाम) राज्य में प्रमुख खनिजों के संबंध में खनन क्षेत्र पर कोई राज्य स्तरीय कर नहीं लगाया गया है।

हस्ताक्षर:	हस्ताक्षर:
पदनाम:	पदनाम:
मुहर:	मुहर:
(प्रभारी सचिव, वित्त विभाग)	(प्रभारी सचिव, खान विभाग)

__________ राज्य सरकार (राज्य का नाम)

<u>**अनुलग्नक-2**</u>

एसएएससीआई 2025-26 के भाग-V (खनन क्षेत्र सुधार) के घटक I (गौण खनिज सुधार) के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन के लिए आवेदन करने का प्रारूप

राज्य का नाम:

#	सुधार पैरामीटर	(हां/नहीं)	दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न हैं (हां/नहीं)	संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य का विवरण
1	राज्य में गौण खनिज नीति है			
2	राज्य ने गौण खनिजों के गवेषण कार्यकलापों के वित्तपोषण के लिए राज्य खनिज खोज न्यास (एसएमईटी) की स्थापना कर ली है।			
3.	राज्य ने गौण खनिज ब्लॉकों के आवंटन के लिए नीलामी पद्धति अपनाई है			
4.	राज्य ने गौण खनिजों के लिए स्टार रेटिंग प्रणाली कार्यान्वित की है			
5.	राज्य में गौण खनिजों के लिए खान बंदी प्रावधान और निगरानी तंत्र है			
6.	राज्य ने पूरे राज्य में कम से कम 3 गौण खनिजों का सर्वेक्षण, मानचित्रण और गवेषण कर लिया है			
7.	राज्य ने संशोधित पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देशों के आधार पर राज्य डीएमएफ नियम जारी कर दिए हैं			

नोट: दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करना होगा।

हस्ताक्षर:
पदनाम:
मुहर:

(प्रभारी सचिव,
वित्त विभाग)

हस्ताक्षर:
पदनाम:
मुहर:

(प्रभारी सचिव,
खान विभाग)

__________ राज्य सरकार (राज्य का नाम)

<u>अनुलग्नक-3</u>

घटक I (गौण खनिज सुधार) के लिए दस्तावेजी साक्ष्य की सांकेतिक सूची

सुधार पैरामीटर	सुझाए गए दस्तावेजी साक्ष्य
गौण खनिज नीति	• नीति / परिपत्र की राजपत्र अधिसूचना • नीति दस्तावेज़ की प्रतिलिपि • सरकारी राज्य वेबसाइट, जहां प्रकाशित किया गया, का यूआरएल
राज्य खनिज खोज न्यास (एसएमईटी)	• नियमों की राजपत्र अधिसूचना • न्यास गठन आदेश • न्यास विलेख/उपनियम • निधि आवंटन/ उपयोग का प्रमाण
गौण खनिज ब्लॉकों का नीलामी आधारित आवंटन	• प्रासंगिक नियमों की राजपत्र अधिसूचना • नीलामी अधिसूचनाएँ • नीलामी परिणाम सारांश
गौण खनिजों के लिए स्टार रेटिंग का कार्यान्वयन	• स्टार रेटिंग अपनाने संबंधी नियम की अधिसूचना • अपनाई गई स्टार रेटिंग प्रणाली की रूपरेखा • वित्त वर्ष 2025-26 के लिए स्टार रेटिंग पुरस्कारों की घोषणा
खान बंदी प्रावधान और निगरानी	• खान बंदी अनिवार्य करने वाले नियमों की राजपत्र अधिसूचना • खानबंदी कार्यकलाप शुरू करने के लिए राज्य द्वारा बजट शीर्ष खोलने को दर्शाने वाले साक्ष्य • नमूना समापन योजना • प्रवर्तन का साक्ष्य (जैसे समापन रिपोर्ट, निरीक्षण)
राज्य ने पूरे राज्य में कम से कम 3 गौण खनिजों का सर्वेक्षण, मानचित्रण और गवेषण कर लिया है	• सर्वेक्षण, मानचित्रण और गवेषण पर सारांश रिपोर्ट • राज्य एजेंसियों या पैनलबद्ध विशेषज्ञों द्वारा तैयार तकनीकी रिपोर्ट या व्यवहार्यता अध्ययन • पूरे राज्य को कवर करने वाली सर्वेक्षण रिपोर्ट और भूवैज्ञानिक मानचित्र - राज्य में भूवैज्ञानिक क्षमता वाले क्षेत्र का अनुमान और कम से कम 3 गौण खनिजों के संसाधनों और भंडार का अनुमान दर्शाने वाली रिपोर्ट।

राज्य ने संशोधित पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देशों के आधार पर राज्य डीएमएफ नियम जारी कर दिये हैं	• संशोधित राज्य डीएमएफ नियमों की राजपत्र अधिसूचना • संशोधित राज्य डीएमएफ नियमों की प्रतिलिपि • सरकारी राज्य वेबसाइट, जहां प्रकाशित किया गया, का यूआरएल

<u>अनुलग्नक-4</u>

प्रमुख खनिज ब्लॉकों के प्रचालन हेतु राज्य-वार लक्ष्य

#	राज्य	दिनांक 31.03.2025 तक राज्य द्वारा नीलाम किए गए कुल ब्लॉक	दिनांक 31.03.2025 तक केंद्र सरकार द्वारा नीलाम किए गए महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक	दिनांक 31.03.2025 तक नीलाम किए गए कुल ब्लॉक	दिनांक 31.03.2025 तक नीलाम किए गए ब्लॉकों का 10%	वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए प्रचालित किये जाने वाले ब्लॉकों की न्यूनतम संख्या
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड.)	(च) = (ड.) का 10%	(छ)
1.	आंध्र प्रदेश	25	1	26	2.6	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	4	4	0.4	1
3.	असम	5	-	5	0.5	1
4.	बिहार	1	3	4	0.4	1
5.	छत्तीसगढ़	42	1	43	4.3	5
6.	गुजरात	25	-	25	2.5	3
7.	झारखंड	10	1	11	1.1	2
8.	कर्नाटक	45	2	47	4.7	5
9.	मध्य प्रदेश	99	3	102	10.2	11
10.	महाराष्ट्र	40	1	41	4.1	5
11.	ओडिशा	48	3	51	5.1	6
12.	राजस्थान	88	-	88	8.8	9
13.	तमिलनाडु	-	2	2	0.2	1
14.	तेलंगाना	2	-	2	0.2	1
15.	उत्तर प्रदेश	7	3	10	1	1
16.	गोवा	12	-	12	1.2	2
	कुल	**449**	**24**	**473**	**-**	**57**

नोट 1: प्रचालन का तात्पर्य उत्पादन और प्रेषण प्रारंभ होने से है।

2. जहां पूर्णांक करना आवश्यक हो, वहां हमेशा अगले उच्चतर धनात्मक पूर्णांक तक पूर्णांक करना होता है।

<u>**अनुलग्नक-5**</u>

एसएएससीआई 2025-26 के भाग-V (खनन क्षेत्र सुधार) के घटक II (प्रमुख खनिज सुधार) के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन के लिए आवेदन करने का प्रारूप

राज्य का नाम:

क्र. सं.	वित्त वर्ष 2025-26 में प्रचालित खान का नाम $	उत्पादन और प्रेषण प्रारंभ होने की तिथि

$ प्रचालन का तात्पर्य उत्पादन और प्रेषण प्रारंभ होने से है

हस्ताक्षर:
पदनाम:
मुहर:

(प्रभारी सचिव,
वित्त विभाग)

हस्ताक्षर:
पदनाम:
मुहर:

(प्रभारी सचिव,
खान विभाग)

__________ राज्य सरकार (राज्य का नाम)

<u>अनुलग्नक- 6</u>

एसएएससीआई 2025-26 के भाग-V (खनन क्षेत्र सुधार) के घटक III (एसएमआरआई-आधारित सुधार) के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन के लिए आवेदन करने का प्रारूप

राज्य का नाम	
एसएमआरआई में समूह	
समूह में रैंक	
प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की इच्छा (हाँ/नहीं)	

हस्ताक्षर:
पदनाम:
मुहर:

(प्रभारी सचिव,
वित्त विभाग)

हस्ताक्षर:
पदनाम:
मुहर:

(प्रभारी सचिव,
खान विभाग)

__________ राज्य सरकार (राज्य का नाम)